

**प्रेस नोट**  
**थाना बबीना**

**दिनांक 01.04.2024**

**अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध थाना बबीना की प्रभावी कार्यवाही**

आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत गठित टीम द्वारा अवैध शराब निर्माण/बिक्री के रोकथाम अभियान के क्रम में आज दिनांक 01.04.24 को **डोंगरी बाँध चमरौआ के किनारे जंगल से** अभियुक्त गुड्डा चमार पुत्र भरतू निवासी ग्राम चमरौआ चौकी भेल थाना बबीना जिला झाँसी को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 02 ड्रमो मे करीब 400 लीटर व 03 जरीकेनो मे 150 लीटर अवैध कच्ची शराब **(कुल 550 ली0)** व 02 अदद भट्टी व शराब बनाने के अन्य उपकरण (लोहा ड्रम, भपका,पतीला) बरामद हुये व मौके पर 10 ड्रमो मे से करीब 2000 क्रिग्रा लहन नष्ट किया गया व मौके से 1.सुखपाल सिंह उर्फ बल्लू सिंह पुत्र स्व नाहर सिंह 2.झल्लू सिंह पुत्र चंदन सिंह 3.भानु प्रताप पुत्र गंदू सिंह समस्त निवासी गण ग्राम चमरौआ चौकी भेल थाना बबीना जिला झाँसी मौके से भाग गया।उपरोक्त सभी अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 123/2024 धारा 60(1)/60(2) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**अभियुक्त झल्लू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –**

- 1.मु0अ0स0 505/07 धारा 147/323/336/452/504/506 भादवि थाना बबीना
- 2.मु0अ0स0 16/22 धारा 60(1) आब.अधि. थाना बबीना
- 3.मु0अ0स0 32/23 धारा 60(1) आब.अधि. थाना रक्सा
- 4.मु0अ0स0 138/21 धारा 60(2) आब.अधि. व 272 भादवि थाना रक्सा
- 5.मु0अ0स0 147/22 धारा 60(2) आब.अधि. व 272 भादवि थाना रक्सा
- 6.मु0अ0स0 294/21 धारा 60(2) आब.अधि. थाना रक्सा

**अभि0 सुखपाल उर्फ बल्लू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –**

- 1.मु0अ0स0 242/21 धारा 60(1) आब.अधि. थाना बबीना
- 2.मु0अ0स0 331/23 धारा 60(1)/60(2) आब.अधि. थाना रक्सा
- 3.मु0अ0स0 147/22 धारा 60(2) आब.अधि. व 272 भादवि थाना रक्सा

**दविश देने वाली थाना पुलिस टीम –**

- 1.श्री अरूण कुमार तिवारी थानाध्यक्ष थाना बबीना झाँसी
- 2.उ0नि0 श्री शिवजीत सिंह चौकी प्रभारी भेल बबीना

- 3.उ0नि0 श्री सर्वेश कुमार थाना बबीना
- 4.हे0का0 195 आदित्य कुमार थाना बबीना
- 5.का0 839 कृष्ण मुरारी थाना बबीना
- 6.का0 244 अनस प्रताप चौकी भेल बबीना
- 7.का0 1573 लवकुश पाण्डेय चौकी भेल बबीना
- 8.का0 722 सुमित कुमार चौकी भेल बबीना

